देश के लिए.. अव्यवस्था के खिलाफ..

The Whistle Blowers
Exposing Corruption in Government System

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/TWB/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 29 अगस्त 2020

व्याख्यातागणों और कॉलेज प्राचार्यों ने सेवा नियमों को ताक पर रखा

भरतपुर कॉलेज के दो व्याख्याताओं ने ड्यूटी के दौरान सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर किया मकान का सौदा

दिनांक 26/07/2019 को भरतपुर कॉलेज प्राध्यापिका(हाल पदस्थापित धौलपुर राजकीय महाविद्यालय) श्रीमती नीरजा शर्मा द्वारा अपने

नाम रजिस्टर्डशुदा मकान संख्या 423-बी-2/1 का गुपचुप विक्रय, उनके साथ कॉलेज में सहयोगी श्री सतीश कुमार की पत्नी श्रीमति सुधा कुमारी को कर दिया|देखने को यह घटनाक्रम बहुत ही साधारण है और किसी को इस बेचान पर साधारणतया कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए|

परन्तु चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम दो सरकारी कार्यालयों में एक ही समय में दर्ज है|यानि की श्रीमती नीरजा शर्मा और सतीश कुमार जो कि भरतपुर कॉलेज में व्याख्याता है,दोनों इस रजिस्ट्री के बाबत सब रजिस्ट्रार कार्यालय,भरतपुर में दिनांक 26/07/19 को दिन के 12.42 बजे उपस्थित थे,वही इसी समय भरतपुर कॉलेज में यह दोनों व्याख्याता छात्रों की क्लासें भी ले रहे थे|अब शायद आप लोगो को फ़िल्मी स्टाईल में कुछ कुछ माजरा समझ में आ रहा होगा जब विलेन कोई गुनाह करता है और कोर्ट में अपने आप को कहीं दूसरी जगह होना सिद्ध कर देता है|

कॉलेज प्रिंसिपल ने दी इस अनुशासनहीनता/अपराध को मौन स्वीकृति

कॉलेज व्याख्याताओं द्वारा की गयी इस अनुशासनहीनता/अपराध की कार्यवाही को कॉलेज प्राचार्य श्री विवेक शर्मा द्वारा मौन स्वीकृति दी गयी||प्राचार्य की मौखिक स्वीकृति लेकर श्रीमती नीरजा शर्मा और सतीश शर्मा अपने ड्यूटी समय में सब रजिस्ट्रार कार्यालय गए जबकि राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत, बिना लिखित अनुमति प्राध्यापकगण

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

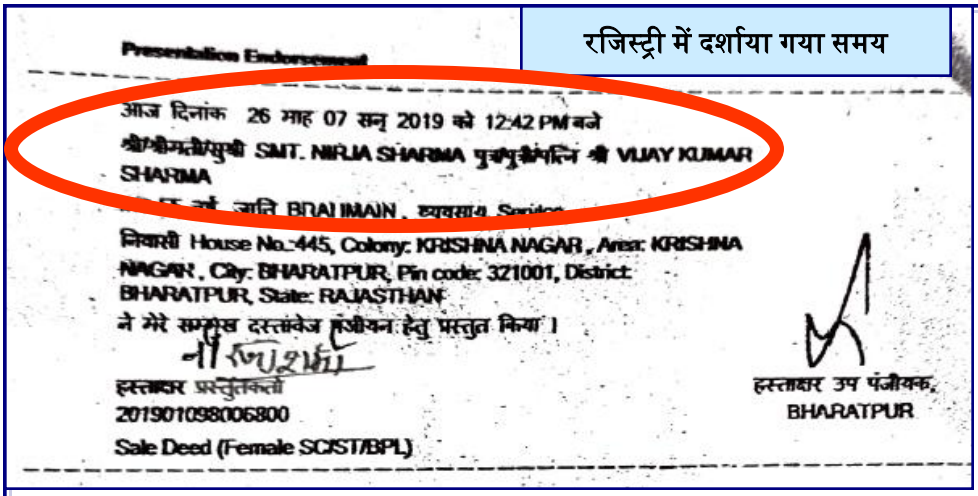

Presentation Endorsement

आज दिनांक 26 माह 07 सन् 2019 को 12:42 PM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SMT. NIRJA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री VIJAY KUMAR SHARMA

जाति BRAHMAIN , व्यवसाय Service

निवासी House No.-445, Colony: KRISHNA NAGAR , Area: KRISHNA NAGAR , City: BHARATPUR, Pin code: 321001, District: BHARATPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

201901098006800

Sale Deed (Female SC/ST/BPL)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, BHARATPUR

रजिस्ट्री में दर्शाया गया समय

ड्यूटी छोडकर दूसरे कार्यालय में निजी कार्य से उपस्थित नहीं हो सकते| कॉलेज प्रिंसिपल की इसी शह का लाभ उठाकर, नीरजा शर्मा ने बैंक ऑफ बड़ोदा,भरतपुर तथा नगर निगम आदि अन्य सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में उपस्थित होकर वहां अपने निजी कार्य(मकान की रजिस्ट्री से सम्बंधित) को अंजाम दिया|देखा जाए तो यह प्रकरण अपराध की श्रेणी में आता है|इस प्रकरण की यदि उचित विभागीय जांच की जाए तो दोषी व्याख्याताओं का अपराध सिद्ध होने पर निलंबित भी किया जा सकता है|

राजकीय महाविद्यालय भरतपुर के साथ साथ नगर निगम भरतपुर ने भी की अनियमितताएं

इस प्रकरण में अनियमितताएं ना केवल भरतपुर कॉलेज द्वारा बल्कि नगर निगम भरतपुर द्वारा भी जमकर बरती गयी है|जहाँ एक और कॉलेज प्रशासन ने अपने व्याख्याताओं को अनुशासनहीनता करने की छुट दी वहीं दूसरी और नगर निगम भरतपुर द्वारा बिना जांचे इस मकान की कथित विक्रय अनापत्ति जारी कर दी|जबकि नियमानुसार भवन विनियमों और बिना स्वीकृत नक्शों के बने निर्माण की विक्रय स्वीकृति जारी नही की जा सकती|

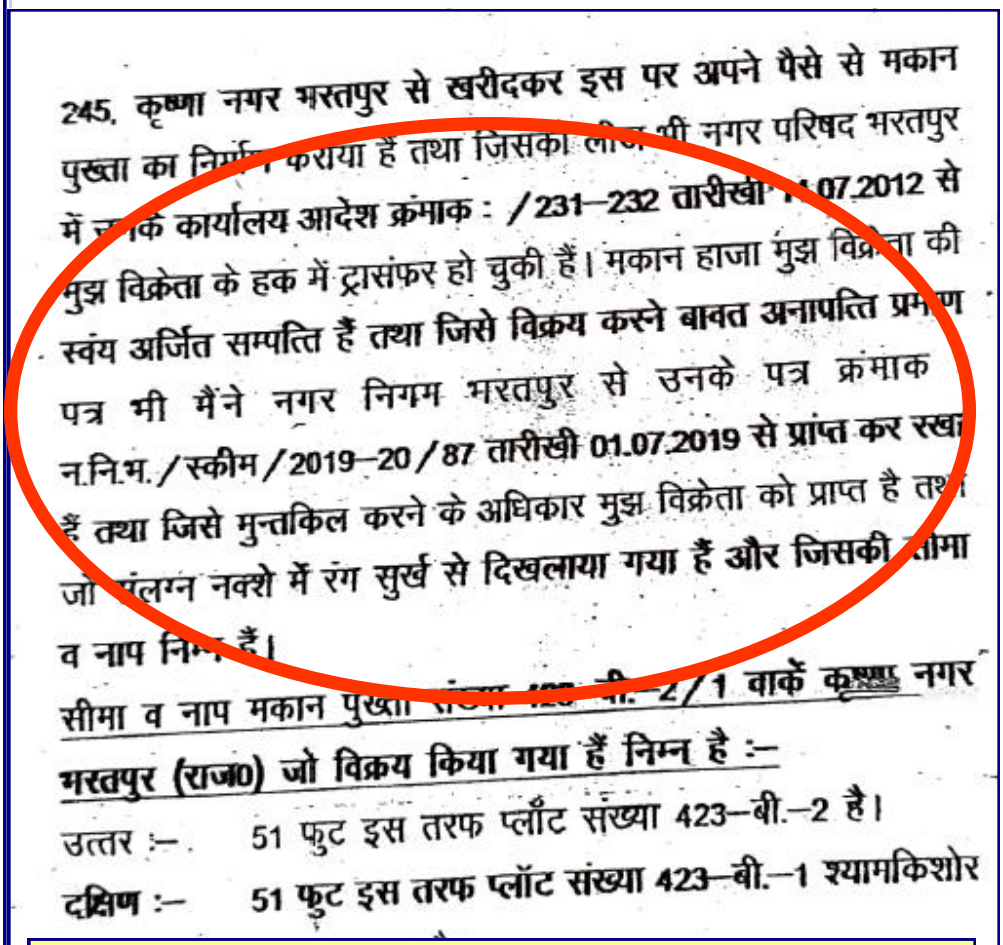

245, कृष्णा नगर भरतपुर से खरीदकर इस पर अपने पैसे से मकान पुख्ता का निर्माण कराया है तथा जिसका ... भी नगर परिषद भरतपुर में ... के कार्यालय आदेश क्रमांक : /231–232 तारीखी ...07.2012 से मुझ विक्रेता के हक में ट्रांसफर हो चुकी हैं। मकान हाजा मुझ विक्रेता की स्वंय अर्जित सम्पत्ति हैं तथा जिसे विक्रय करने बावत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मैंने नगर निगम भरतपुर से उनके पत्र क्रमाक न.नि.भ./स्कीम/2019–20/87 तारीखी 01.07.2019 से प्रांप्त कर रखा हैं तथा जिसे मुन्तकिल करने के अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है तथा जो संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से दिखलाया गया हैं और जिसकी सीमा व नाप निम्न हैं।

सीमा व नाप मकान पुख्ता संख्या 423 बी.–2/1 वाकै कृष्णा नगर भरतपुर (राज0) जो विक्रय किया गया हैं निम्न है :–

उत्तर :– 51 फुट इस तरफ प्लॉट संख्या 423–बी.–2 है।

दक्षिण :– 51 फुट इस तरफ प्लॉट संख्या 423–बी.–1 श्यामकिशोर

रजिस्ट्री में नगर निगम भरतपुर द्वारा जारी विक्रय अनापत्ति का जिक्र

नगर निगम भरतपुर ने बिना जांचे दी मकान की विक्रय स्वीकृति

कॉलेज प्राध्यापिका(हाल पदस्थापित धौलपुर राजकीय महाविद्यालय) श्रीमती नीरजा शर्मा द्वारा मकान संख्या 423-बी -2/1 को विक्रय करने हेतु, नगर निगम भरतपुर में एक प्रार्थना पत्र बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया|किन्तु उक्त आवेदन के साथ स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्मित मकान किये जाने का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया|जबकि मौके पर उक्त मकान राजस्थान भवन विनिर्माण एकीकृत नियमों एवं स्वीकृत नक्शों के

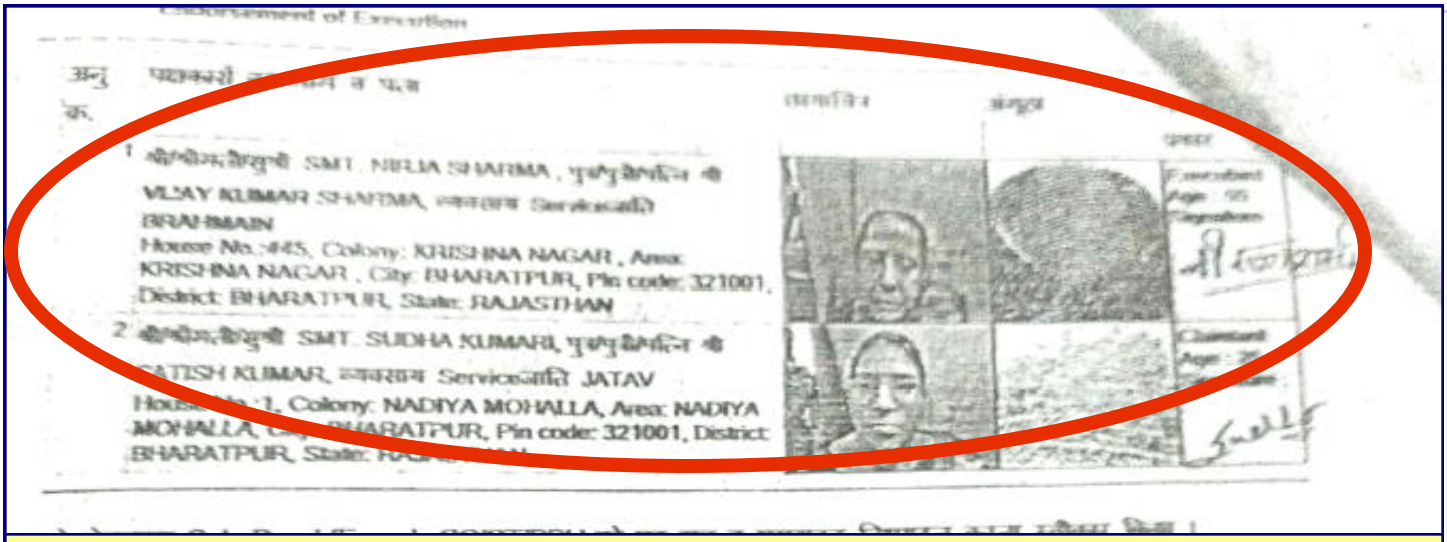

रजिस्ट्री के समय व्याख्यातागण श्रीमती नीरजा शर्मा और सतीश कुमार के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होने के प्रमाण

अनुरूप नहीं है|सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आज्ञापक नियमों की अवहेलना कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होकर नाजायज तरीके से श्रीमती नीरजा शर्मा को अनापत्ति प्रमाण पत्र जरिये पत्र क्रमांक न.नि.भ/स्कीम/2019-20/87 तारीख 1-7-2019 को जारी कर दिया गया,जबकि नियमानुसार उक्त पत्र जारी नहीं किया जा सकता था क्यूंकि यह मकान स्वीकृत नक्शों और भवन विनिमयों के विपरीत बना हुआ था|इस प्रकरण की शिकायत श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भरतपुर को भी की गयी थी,परन्तु आज दिनांक तक उक्त परिवादों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जो कि अत्यंत खेदजनक है|

धौलपुर और भरतपुर के प्राचार्यों ने इस षडयंत्र व प्रकरण को दबाया

ना केवल श्रीमति नीरजा शर्मा ने इस मकान की रजिस्ट्री में अनियमितताएं की बल्कि इस मकान का अवैध बेचान भी अपने पति को कानोकान खबर हुए बिना कर दिया|जबकि इस मकान को क्रय करने और बनाने में श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा अपने खाते से लाखो रुपयों का भुगतान किया गया था|भरतपुर कॉलेज के प्राचार्य महोदय को जब उक्त प्रकरण की जांच हेतु श्री विजय कुमार शर्मा ने आवेदन किया तो प्रकरण को शून्य कार्यवाही करते हुए दबा दिया गया तथा शिकायत को महाविद्यालय से संबन्धित होना नहीं

बताया|शिकायतकर्ता द्वारा 21/11/19 व 26/11/19 को जांच हेतु पुनः लिखा गया लेकिन प्राचार्य ने कोई जांच समिति गठित नहीं की और ना ही कोई जांच की|क्योंकि उनका भी इस प्रकरण में कहीं ना कही हाथ है|यही नहीं इस मकान में किराएदार रहे बालकृष्ण व अंजना शर्मा जो भी पेशे से प्राध्यापक हैं उनको भी इस मकान से बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया परन्तु वे भी शांत रहे और इस प्रकरण की जानकारी श्री विजय कुमार शर्मा को नहीं दी जबकि श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा ही उन्हें मकान में किरायेदार रखा गया था|इस मकान के बेचान के समय नीरजा शर्मा इस मकान में नहीं रुक कर अपने एक सहयोगी जो कि इतिहास व संस्कृत के व्याख्यातागण है,के घर पर रही| इस प्रकार यह पूरा प्रकरण भ्रष्टाचार व षडयंत्र का प्रतीक है जिसे सूत्रों के अनुसार राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से भी दबाया जा रहा है|इसी तरह राजकीय महाविद्यालय,धौलपुर ने भी प्रकरण की जांच को दबाये रखा है जबकि इस प्रकरण को एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो चूका है|इस प्रकरण बाबत श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा दर्ज एक FIR संख्या 58/2020 मथुरागेट थाना,भरतपुर में भी दर्ज करवाई है,इसकी जांच में भी दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यगण सहयोग नहीं कर रहे है,जबकि सम्बंधित थाना मथुरागेट द्वारा जांच में सहयोग बाबत कई पत्र लिखे जा चुके है|

राजस्थान सिविल सेवायें(आचरण) नियम 1971 के कई नियमों का हो रहा उल्लंघन

कॉलेज व्याख्याता श्रीमति नीरजा शर्मा एवं सतीश कुमार द्वारा एक नहीं कई राजकीय नियमों का उल्लंघन किया गया है परन्तु इसके बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होना जांच का विषय है|

बिना सरकार को बताये दो बार की शादियाँ,दोनों ही असफल

कॉलेज व्याख्याता श्रीमति नीरजा शर्मा द्वारा अपने आज तक के जीवन में दो बार शादी की परन्तु दोनों ही शादियों को आगे बढाने में विफल रही,उनके पहले विवाह विच्छेद के बाद उन्होंने कॉलेज व्याख्याता डा. श्री विजय कुमार शर्मा से विवाह किया परन्तु शादी के 17 साल बाद उनके विवाह की यह डोर भी टूट गयी वर्तमान में दोनों से तलाक हेतु कोर्ट में अर्जी दी हुई है|राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक को अपने विवाह सम्बन्धी जानकारी सरकार को देनी होती है,परन्तु श्रीमति नीरजा शर्मा द्वारा ऐसा नहीं किया गया|

कॉलेज व्याख्याता के विरुद्ध FIR लंबित,परन्तु नहीं दी सरकार को इसकी जानकारी

कॉलेज व्याख्याता श्रीमति नीरजा शर्मा के विरुद्ध उनके दुसरे पति ने दो मामले दर्ज करवा रखे है जिनमे एक में तो एफ.आर.लग गयी है जबकि एक अन्य भरतपुर के मथुरागेट थाने में लंबित है|राजस्थान सिविल सेवायें(आचरण) नियम 1971 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक को अपने विरुद्ध दर्ज सभी संज्ञेय/असंज्ञेय प्रकरणों की जानकारी सरकार को देनी होती है,परन्तु श्रीमति नीरजा शर्मा द्वारा ऐसा नहीं किया गया|

अचल संपत्ति खरीदने बेचने की भी नहीं दी सरकार को जानकारी

श्रीमति नीरजा शर्मा ने डा. श्री विजय कुमार शर्मा के साथ शादी कर दो अचल संपत्तियों की खरीद की,सह्रदयी श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा अपने हिस्से के लाखो रूपये देने के बावजूद उक्त दोनों संपत्ति आपसी विश्वास के तहत श्रीमति नीरजा शर्मा के नाम करवाई,परन्तु इन्ही संपत्तियों के लोभ के कारण श्रीमति नीरजा शर्मा ने अपने पति से साजिशन अनबन चालु कर दी और अलग रहते हुए दोनों संपत्तियां बिना अपने पति को बताये और ना ही उनके हिस्से की रकम चुकाए,नियम विरुद्ध तरीके से बेच दी|राजस्थान सिविल सेवायें(आचरण) नियम 1971 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक को अपनी चल अचल संपत्तियों के खरीद/बेचान की जानकारी सरकार को देनी होती है,परन्तु श्रीमति नीरजा शर्मा द्वारा ऐसा नहीं किया गया|

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ1( )स्था/निकाशि/सूचना–अधि/19/261 दिनांकः–28-01-2020

श्री विजय शर्मा,
64 नागरिक नगर,
जयपुर–29.

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 30–12–2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः–

बिन्दु संख्या 1:– कॉलेज कार्यावधि के दौरान यदि कोई कार्मिक विभिन्न राजकीय कार्यालयों में उपस्थित होकर कोई व्यक्तिगत कार्य हेतु प्रस्थान करता है तो इसके लिये महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है।

बिन्दु संख्या 2:– यदि धोखाधड़ी कृत्य कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो इसके लिये संबंधित कार्यालय नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्वयं सक्षम होते है।

बिन्दु संख्या 3:– उक्त प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में स्पष्ट किया जा चुका है।

बिन्दु संख्या 4:– यदि कार्मिक के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज हो तो सीसीए नियमों के अन्तर्गत जांच कमेटी का गठन कर जांच समिति की जांच रिपोर्ट एवं माननीय न्यायालय निर्णय को दृष्टीगत रखते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जाती है।

27-1-2020
(डॉ0 के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–एफ1( )स्था/निकाशि/सूचना–अधि/19/261 दिनांकः–28-01-2020

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. डॉ. के.एल. सिराधना, SPIO एवं संयुक्त निदेशक प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर को पत्रांक एफ20 (101/127/20) लोसू/आकाशि/2005/57 दिनांक 10–01–2020 के क्रम में।

27-1-2020
(डॉ0 के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

संयुक्त निदेशक(प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा दी गयी जानकारी

कॉलेज आयुक्तालय के अनुसार ऐसे मामलों में कार्यवाही

श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा ऐसे मामलों में कार्यवाही के सम्बन्ध में सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गयी जिसके जवाब में संयुक्त निदेशक(प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा बताया गया कि सरकारी समय में व्यक्तिगत कार्य हेतु जाने के लिए महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी से अनुमति आवश्यक होती है,धोखाधड़ी के प्रकरणों में भी सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जानी होती है|साथ ही यह भी जानकारी दी गयी कि यदि कार्मिक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो तो सीसीए नियमों के अंतर्गत जांच कमिटी का गठन किया जाकर,की गयी जांच के आधार पर अग्रेषित कार्यवाही की जाती है|

यदि ऐसे मामले में कार्यवाही नहीं होगी तो कोई भी अपने आप को सरकारी कार्यालय में उपस्थित बता कर गुनाह को दे सकता है अंजाम

आपको दृश्यम पिक्चर की कहानी तो याद होगी जिसमे नायक अपने द्वारा किये गए क़त्ल को छुपाने के लिए अपने और अपने पूरे परिवार की उपस्थिति अन्यंत्र सिद्ध करने के लिए सबूत बनाता है,जिसमे वह सफल भी होता है और सबूतों के अभाव में पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती| यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर गुनाहगार इस फिल्म के हीरो की तरह गुनाह करके अपने आप को दूसरी जगह बता कर पाक साफ़ हो जायेंगे|इस मामले में समाज के सबसे अभिजात और शिक्षित वर्ग कहे जाने वाले कॉलेज व्याख्याताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है वहीँ दूसरी और ऐसे मामले में कार्यवाही नहीं कर कॉलेज प्रशासन भी संदेह के घेरे में आ गया है|

सूचनाओं पर ताला

इस मामले की तह तक जाने की डा.विजय कुमार शर्मा द्वारा भरकस कोशिशें की गयी परन्तु कॉलेज और नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई राहत नहीं दी गयी,इस मामले को उजागर करने के लिए उनके द्वारा पचीसों सुचना आवेदन भेजे गए परन्तु दोनों विभागों द्वारा सुचना शून्य है अथवा तृतीय पक्ष से सम्बंधित बताकरचाही गयी सूचनाएं देने से मना कर दिया|

यह हम दोनों का दूसरा विवाह था,मेरी पत्नी नीरजा शर्मा शुरू से ही नकद,संपत्ति और जेवरात की लालची रही है|हम दोनों 17 वर्ष साथ रहे इस दौरान मैंने अपनी गाढ़ी कमाई से एक मकान,एक प्लाट व लाखो के जेवरात ख़रीदे ,आपसी विश्वास के तहत मैंने सभी कुछ अपनी पत्नी के नाम करवा दिए थे परन्तु वह अचानक 19/04/19 को मेरे जयपुर स्थित मकान से भाग गयी और गुपचुप तरीके से सब कुछ खुर्द-बुर्द कर दिया,इस पूरे षड़यंत्र में बहुत से व्याख्याता और प्राचार्य भी शामिल है|

डा. विजय कुमार शर्मा(सेवानिवृत व्याख्याता)

(निदेशालय कॉलेज-शिक्षा में की गयी सांठ गाँठ का खुलासा अगले अंक में)